

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर - 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प2 (क)/अलेसे । लिंक न. 3033 / 490

दिनांक :- 13/07/2017

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री **चन्दन सिंह परमार** [लिंक नं. 3033] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, बाड़मेर - [20346] जिनकी जन्म तिथि 01/07/1960 है, ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 21/09/2017 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अनुरोध किया है।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996, के नियम 50 (1) के अन्तर्गत इन्हें दिनांक 21/09/2017 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

श्री **चन्दन सिंह परमार** की राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 06/12/1978 है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री **चन्दन सिंह परमार** के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं हैं।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- प2 (क)/अलेसे । लिंक न. 3033 / 490

दिनांक :- 13/07/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, बाड़मेर
4. कोषाधिकारी बाड़मेर
5. श्री /श्रीमती / सुश्री **चन्दन सिंह परमार** [3033] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, बाड़मेर
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
8. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट


(बलवीर सिंह गोठवाल)
(अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I))